

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


नाथू पिता राजु गूर्जर निवासी पीपलून्द

बनाम

जमना पिता मोहन गूर्जर निवासी पीपलून्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 516/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
07.06.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2802/2 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2802/2 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्र/रीडर/2023/516/2023

दिनांक :- 01.06.2023


निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 516/23 अनवान नाथूलाल पिता राजू जाति गूर्जर निवासी पीपलुन्द बनाम जमना पिता मोहन, भंवरलाल, प्रभू, पिता घीसू, महावीर, गुमानी पिता खाना, हरनाथ, सांवरा पिता उदा, मीरा, नन्दु पत्नि उदा गुर्जर निवासीयान पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला-भीलवाडा राजस्थान,

पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2802/2 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)